महत्वपूर्ण एवं खास

जुताई के दौरान ट्रेक्टर पलटने से चालक की मृत्यु

न्याय साक्षी/रायगढ़। ग्राम बगडेवा थाना खरसिया निवासी श्रवण कुमार गबेल की ट्रेक्टर स्वराज 744 को दिनांक 02.08.19 को सुबह करीब 08.00 बजे राकेश कुमार गबेल पिता साहेबदीन गबेल उम्र 30 वर्ष साकिन कलमीपाठ, श्रवण कुमार गबेल की खेत को जुताई करने के लिये लेकर जा रहा था कि बगडेवा, बकेली के बीच नाला किनारे करीब 08:30 बजे ट्रेक्टर को राकेश पलटी कर दिया और ट्रेक्टर में दबकर घटना स्थल पर फौत हो गया। घटना के संबंध में थाना खरसिया में मर्ग क्रमांक 75/19 धारा 174 जा0फौ0 कायम कर पंचनामा कार्यवाही बाद ट्रेक्टर चालक राकेश कुमार गबेल के विरूद्ध अप.क्र. 323/19 धारा 304-ए भादंवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

स्व साहायता समूह की सदस्या 95 हजार रूपये का ऋण लेकर फरार, धोखाधड़ी का मामला दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। भाग्य लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती सावित्री कश्यप उम्र 37 वर्ष निवासी राजेन्द्र पाण्डे का मकान जगन्नाथ मंदिर के पास बैकुंठपुर दिनांक 02.08.19 को थाना कोतवाली में समूह की समीति की सदस्य अस्मिता राठौर द्वारा समुह का 95000/- रूपये ब्याज में लेकर धोखाधडी करने की रिपोर्ट दर्ज करायी है। रिपोर्टकर्ता ने बताया कि मोहल्ले के दुर्गेश्वरी कश्यप, गोमती यादव, संतोसी मेहर, उषा कहार, सुदिप्ता, हिमान्ती, पुर्णिमा कहार, रूखमणी निषाद, अनिता राठौर तथा अस्मिता राठौर मिलकर भाग्य लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह बनाये है। समीति का पंजीयन नगर पालिका निगम रायगढ़ से करवाये है। समूह के खाता में प्रतिमाह 200 - 200/ रू सभी सदस्य जमा करते है। जिसे जरूरत पड़ती थी उसे आसान किस्त मे रूपये जमा करने हेतु सभी के सहमति से 03 प्रतिशत मासिक ब्याज पर ऋण में रूपये देते थे। समूह की सदस्य अस्मिता राठौर अपनी लड़की की शादी के लिए रूपयों की जरूरत है बोलकर समूह से 50000/रू समूह के खाते से तथा 45000/रू समूह का ऋण कुल 95000/रू अक्टूबर 2018 से ली है और अभी तक एक भी रूपये नही लौटायी है और अपना घर छोड़कर कही चली गई है। रिपोर्टकर्ता के रिपोर्ट पर अस्मिता राठौर के विरूद्ध अप.क्र. 578/19 धारा 420 भादंवि दर्ज किया गया है।

बाल मंदिर में चला पुलिस महिला रक्षा टीम का जागरूकता अभियान

» टीम प्रभारी टी.आई. संतोषी ग्रेस ने स्कूल के बच्चों को दी अवांछनीय अपराधों से बचाव की जानकारी

न्याय साक्षी/रायगढ़। जिले की पुलिस महिला रक्षा टीम प्रतिदिन शहर एवं आसपास के स्कूलों में जाकर बच्चों को लैंगिक अपराधों की जानकारी एवं उनसे बचाव के गुरू सिखाने का कार्य कर रही है। इसी क्रम में आज दिनाँक 02-08-19 को पुलिस महिला रक्षा टीम द्वारा बच्चों के विरुद्ध घटित अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जाने वाले जागरूकता कार्यक्रम के क्रम में किरोडीमल बाल मंदिर स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।

कार्यक्रम में टी.आई ग्रेस ने बताया कि मासूम बच्चियों के साथ हो रही दुष्कर्म की घटनाओं में कोई नजदीकी व्यक्ति का होना देखा गया। इसलिये कोई पड़ोसी या फिर रिश्तेदार यहां तक कि कई बार बुजुर्ग भी बैड टच करें तो पैरैंट्स को बताना चाहिए, स्कूल में यदि कोई समस्या हो तो टीचर को बतायें। पुलिस से भी मदद ले, पुलिस थाना, महिला सेल में किसी भी समय कॉल कर मदद ले सकती हैं।

महिला प्रधान आरक्षक मंजु मिश्रा ने बताया कि बच्चों के साथ अपराध दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे है. क्योंकि बच्चे बहुत ही मासूम होते है, आरोपियों के गंदे इरादों को समझ नहीं पाते है, उन्हें पता ही नहीं होता है कि गुड टच और बेड टच क्या है ? मंजु मिश्रा द्वारा छात्राओं को कहा गया कि जब आप किसी का छूने से असहज महसूस करते हैं या फिर उस व्यक्ति का छूना आपको बुरा लगता है तो तुरंत शिकायत करें।

कार्यक्रम में बच्चों को महिला रक्षा टीम प्रभारी टी.आई. संतोषी ग्रेस व महिला प्रधान आरक्षक मंजु मिश्रा के द्वारा उनके अधिकारो एवं लैंगिक अपराध, यौन शोषण, छेड़खानी, घरेलु हिंसा की घटनाओं से बचने के उपाय भी बताया गया । कार्यकम में बच्चों को प्रोजेक्टर से छोटे-छोटे विडियो किल्प के माध्यम से बेड टच, गुड टच, सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया गया। बच्चों को अप्रिय घटना एवं सहायता के लिये मोबाइल नम्बर 1098, 1091, 112, एवम 100 की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में करीब 1100 बच्चे व स्कूल स्टाफ उपस्थित थे।

नवविवाहिता को दहेज प्रताड़ना, जिंदा जलाने की कोशिश, जुर्म दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। ग्राम बोकरामुड़ा थाना सरिया में रहने वाली श्रीमती संजू यादव द्वारा अपने पति डोलामणी यादव, सास सेतमती यादव एवं ससूर मोहनलाल यादव के विरूद्ध कम दहेज के कारण मारपीट कर मिट्टी तेल छिड़क कर जला देने संबंधी आवेदन पत्र आज दिनांक 02.08.19 को थाना बरमकेला में देकर रिपोर्ट दर्ज करायी है। पीड़िता ने बताया कि शादी करीब 3 माह पूर्व ग्राम सांवतकुत(तौंसीर) बरमकेला निवासी डोलामणी यादव पिता मोहनलाल यादव के साथ हिन्दु रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ है, शादी मे हैसियत अनुसार समान ससुराल से लायी थी, शादी के बाद कुछ दिन पति, सास, ससूर, अच्छे से रखे उसके बाद सभी बातचीत करना बंद कर दिये है, सास सेतमती यादव द्वारा एक सप्ताह के बाद बोली किन्तु अपने माँ बाप से एक लाख रूपया दहेज मे मांग कर ला हम लोग यहाँ जमीन लेंगे और यदि तुम एक लाख रूपये दहेज मे मांग कर नही लाएगी तो तुझे नही रखेंगे और तीनो मिलकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिये । दिनांक 27/07/2019 को रात्रि पति डोलामणी मिट्टी तेल लेकर आया और मिट्टी के तेल को सामने से मेरे ऊपर छिड़क दिया और सास माचिस की तिली को जलाकर मेरे ऊपर फेक दी, तब अपनी जान बचाकर अपने चाचा ससूर के घर गई और अपनी जान बचाई। पीडिता के आवेदन पर पति, सास, ससुर के विरूद्ध थाना बरमकेला में अप.क्र. 126/19 धारा 498(ए), 324, 34 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

लायनेस क्लब ऑफ रायगढ़ सिटी ने महिला बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक को पुस्तकें भेंट की

न्याय साक्षी/रायगढ़। लायनेस क्लब आफ रायगढ़ सिटी ने सेवा गतिविधि के तहत बेटी बचाओ बेटी पढाओ कार्य मे सहयोग करते हुए महिला बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक श्रीमती बीना पुरसेठ को पुस्तकें भेंट की गई। जिसमे ज्ञानवर्धक ,महापुरुषों की जीवनी, सफलता पाने के अवसर, प्रतियोगिता से संबंधित पुस्तकें दी गई।जिससे इस पुस्तकालय में आने वाली सभी बच्चियाँ एवं छात्राएं लाभान्वित हो एवं शिक्षा को लेकर उनमें नया उत्साह जगे व महापुरुषों की जीवनियों से उन्हें जीवन के लक्ष्यो को साधने की प्रेरणा मिले व प्रतियोगी परीक्षाओं मे किस तरह उपयोगी ट्रिक्स अपना कर सफलता हासिल कर सकें।

उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए लायनेस क्लब आफ रायगढ़ सिटी के सदस्य लायनेस किरण उरांव, लायनेस प्रभा चौबे, लायनेस अलका जैन, लायनेस अर्चना मिश्रा, लायनेस सरिता विश्वकर्मा जी ने पर्यवेक्षक बीना पुरसेठ जी से यादगार भेंट की व समय समय पर सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना में मदद की अभिलाषा भी जताई हैं और इस रक्षाबंधन के पर्व पर अधिक से अधिक संख्या में अपने सैनिक भाईयों को बेटी बचाओ बेटी पढाओ की स्लोगन वाली राखी पहना कर यह संदेश जन जन तक फैलाएंगे।

खरसिया मण्डल का प्रभार एडीईओ रमेश अग्रवाल को

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर रायगढ़ यशवंत कुमार ने सहायक आयुक्त आबकारी दिनकर वासनिक की अनुशंसा पर जिले में सहायक जिला आबकारी अधिकारियों एवं आबकारी उप निरीक्षकों के मध्य नया कार्य विभाजन आदेश जारी किया है।

सहायक जिला आबकारी अधिकारी इन्द्रबली सिंह मार्केण्डेय को रायगढ़ और सारंगढ़ मण्डल के साथ मद्य भण्डागार रायगढ़ एवं रमेश कुमार अग्रवाल को खरसिया मण्डल का प्रभार दिया गया है। जिला कार्यालय में रमेश अग्रवाल आबकारी विभाग की समस्त नस्तियॉ और मार्केण्डेय सी.एस.एम.सी.एल. से संबंधित कार्य संपादित करेंगे।

आबकारी उप निरीक्षक आशीष उप्पल को वृत्तों रायगढ़ शहर और रायगढ़ दक्षिण, रमेश सिदार वृत्त रायगढ़ उत्तर के साथ सरिया इसी प्रकार अनिल बंजारे घरघोड़ा और धरमजयगढ़ दोनों वृत्तों के प्रभार में रहेंगे। सी.एस. नेताम को वृत्त और मद्य भण्डागार सारंगढ़ का प्रभार दिया गया है। बरमकेला में सालिकराम सोनकंवरे की पदस्थापना की गई है। डॉ. राकेश राठौर वृत्त खरसिया के प्रभार में बने रहेंगे।

उल्लेखनीय है कि रायगढ़ आबकारी विभाग में तीन मण्डल- रायगढ़, खरसिया और सारंगढ़ है। रायगढ़ मण्डल में रायगढ़ शहर, उत्तर और दक्षिण वृत्त है, जिसमें रायगढ़ अनुभाग के क्रमशः नगरीय क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र और पुसौर ब्लॉक आता है। खरसिया मण्डल में तीन वृत्त खरसिया, घरघोड़ा और धरमजयगढ़ है, जिसमें चार अनुभाग खरसिया, घरघोड़ा, लैलूंगा और धरमजयगढ़ का क्षेत्र आता है। सारंगढ़ मण्डल में सारंगढ़ अनुभाग का क्षेत्र आता है।

आवश्यकता है

CAREER SCHOOL

अंग्रेजी माध्यम (English Medium) में कक्षा 8 वीं, 9वीं एवं 10वीं के लिए गणित एवं अंग्रेजी विषय हेतु अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है।

वेतन योग्यतानुसार

मिलने का समय- सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक

अभ्यार्थी अपना संपूर्ण बायोडाटा के साथ उपस्थित होवें।

CAREER SCHOOL

श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, रायगढ़

SJU - Contact No. +91 9301915303 | E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता — इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों क्रम सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐश्वर्या श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुर्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य क्षेत्र में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां — मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु — प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें — संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित विभिन्न कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे एवं महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

CAREER SCHOOL

स्थापना दिनांक 1 जुलाई 1996

पिछले 22 वर्षो से लगातार बच्चों के साथ...

ADMISSION OPEN

ENGLISH MEDIUM | For Nuresery to 10th

Topper Students Last Session

Topper Students Last Session

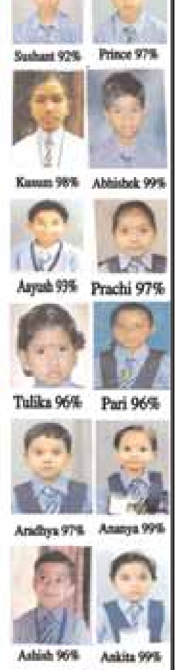

Join CAREER...

Major Facts

1/ Well Qualified Teachers....
2/ A perfact ratio of Techers and Students regarding classes...
3/ Complete Caring Atmosphere.
4/ Good and Equipped Class rooms....
5/ Value based education like daily classes for Logical Maths, G.K.,English Grammar....
6/ CCTV equipped School...
7/ Scientific and Cultural Activities Every Saturday....
8/ And above all Attention on Each and Every Student of the School....

CAREER SCHOOL ENGLISH MEDIUM BEHIND STADIUM STREET RAIGARH C.G. 07762-221359

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की

खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग. संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480